दिनांक 20.07.2021 को जिला अधिकारी महोदय, चम्पावत की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र की बैठक का एजेण्डा

स्थानः— जिला कार्यालय सभागार, चम्पावत

उत्तराखण्ड शासन/निदेशक उद्योग उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक करने के निर्देश दिये गये है, ताकि जनपद में लग रहे उद्यमों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनका निदान किया जा सके।

विगत बैठक जो दिनांक 27.06.2020 को मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी का कार्यवृत्त पत्र संख्या 625–35/ उद्योग मित्र/बैठक/2020–21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के द्वारा संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। कार्यालय स्तर पर तत्सम्बन्धित समस्याओं पर कार्यवाही की जा चुकी है।

आज की बैठक हेतु एजेण्डावार कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैः—

1— जिलास्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों का सम्बन्धित विभाग द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत जारी किये जाने की समीक्षा।

अ :— एकल खिड़की सम्पर्क सूचना एवं सुगम व्यवस्था :—

समयान्तर्गत जारी होने वाली स्वीकृतियों के संबंध में एकल खिड़की व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुये स्वीकृतियाँ जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय में वर्तमान तक 90 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुये है। जिसमें से 54 मामलो में सम्बन्धित विभागों से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है, बाकी आवेदन उद्यमियों को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु वापस किये गये हैं। 54 आवेदन पत्रों में कुल धनराशि 63.66 करोड़ रू0 प्रस्तावित है तथा रोजगार 467 व्यक्तियों का प्रस्तावित है। कार्यालय स्तर पर कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

(i)—बैंक ऋण— वित्तीय वर्ष 2020—21 एवं 2021—22 में उद्यमियों के आवेदन के क्रम में जनपद के विभिन्न बैंक शाखाओं को भेजे गये ऋण प्रस्ताव का विवरण :—

क्र. सं	इकाई/उद्यमी का नाम	बैंक का नाम	ऋण की राशि	बैंक को प्रेति दिनांक
1	टी.पी.एस. एग्रो सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड ठांटा लोहाघाट। श्री प्रदीप शर्मा	नैनीताल बैंक, लोहाघाट	रू0 80.00 लाख	16.04.2021
2	मै0 देवभूमि रत्न हर्बल, बिचई टनकपुर। श्री विनय अग्रवाल	एस0बी0आई, टनकपुर	रू0110.00 लाख	09.04.2021
3	मै0 महालक्ष्मी फर्नीचर, जी0आई0सी.0 चौक। श्री सतीश चन्द्र जोशी।	कैनरा बैक जी0आई0सी0चौक चम्पावत	रू0 79.50 लाख	05.04.2021
4	मै0 नन्दा डेयरी, खर्क खलकड़िया। श्रीमती पुष्पा चिलकोटी।	एस0बी0आई0चम्पावत	रू0 110.00 लाख	11.02.2021
5	मै0 गणपती इण्टरप्राईजेज, चौड़ासेठी। नवीन चन्द्र गड़कोटी	नैनीताल बैंक, चम्पावत	रू0 89.00 लाख	11.02.2021

6	मै0 गणपती फ्लोर मिल, चौड़ासेठी। श्रीमती हेमा देवी।	पंजाब नेशनल बैंक, चम्पावत।	रू0 90.00 लाख	11.02.2021
7	मै0 तिवारी पॉल्ट्रीफार्म, खूंटी बाजरी कोट, चम्पावत। श्री चन्द्र शेखर तिवारी	एस0बी0आई0चम्पावत	रू0 17.80 लाख	13.07.2021

(ii)– <u>विद्युत</u>– आलोच्य वर्ष में इस कार्यालय में किसी भी इकाई का आवेदन पत्र लम्बित नही है अब जो भी विद्युत हेतु आवेदन किया जाता है वह एकल खिड़की व्यवस्था के अर्न्तगत ऑनलाइन किये जा रहे है, अब तक 41 आवेदन पत्र आनलाईन किये गये थे, 41 आवेदन पत्रो पर विद्युत विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है।

(iii)– <u>जल संयोजन</u>– आलोच्य वर्ष में इस कार्यालय में किसी भी उद्यमी का जल संयोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है।

<u>2. जनपद में उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना</u>– वर्तमान में मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में मै0 माधवानंद पंगरिया प्रो0 मोहन चन्द्र गड़कोटी के समीप निवासरत श्री प्रकाश चन्द्र पुनेठा द्वारा दिनांक 19.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी द्वारा अपनी छत का पानी उनकी नाप भूमि में छोड़ दिया गया है जिससे उनकी फसल नष्ट हो गयी है। उक्त संबंध में दिनांक 21.06.2021 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा निरीक्षण करने पाया गया कि उक्त इकाई पर श्री तुलसीराम शर्मा द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि मिनी औद्योगिक आस्थान का भूखण्ड संख्या 28 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी को मसाला उद्योग हेतु आवंटित था।

उक्त प्रकरण पर कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।

3. <u>आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना</u>–

वर्ष 2021–22 में राज्य स्तर हेतु प्रेषित किये जाने वाला कोई प्रकरण के संबंध में, कार्यालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

4. <u>रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णित करना</u>– जनपद में किसी भी इकाई का रूग्ण घोषित करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है।

<u>5. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित 2011 एवं एम.एस.एम.ई.नीति योजना</u>

योजनान्तर्गत इकाईयों के विभिन्न उपादानों (ब्याज प्रोत्साहन, विद्युत प्रोत्साहन एवं अन्य) की स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर सक्षम समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त नीतियों के तहत निम्नांकित योजनान्तर्गत दावे प्राप्त हुए है।

(i)– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना– राज्य सरकार द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित 2011 के तहत नीति के अनुसार स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उद्यम स्थानार्थ लिये गये ऋण,

पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज में प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है, इस नीति के अन्तर्गत 1.04.2008 से 31.03.2018 तक स्थापित पात्र इकाईयों को ब्याज में प्रोत्साहन देय है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 04 इकाईयों के दावे प्राप्त हुए जो निम्नांकित है।

क्र. सं	इकाई का नाम	प्राप्त दावे	प्राप्त दावों में से कालातीत दावे
1	मैसर्स शिवा रेजीडेंसी चम्पावत	05	–
2	मैसर्स एन ग्रीन सिटी चम्पावत	05	–
3	मैसर्स रियल फ्रेश, फोती	05	–
4	होटल ब्लू एम्पायर मोहनपुर, टनकपुर	05	–

मैसर्स रियल फ्रेश ग्राम फोर्ती लोहाघाट को प्रदूषण अनापत्ति, अग्निशमन अनापत्ति, एफ0एस0एस0ए0आई0 पंजीकरण की औपचारिकताओं के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। शेष 03 इकाईयां मैसर्स शिवा रेजीडेंसी चम्पावत, मैसर्स एन ग्रीन सिटी चम्पावत, मैसर्स होटल ब्लू एम्पायर मोहनपुर, टनकपुर के दावे सूची के अनुसार समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(ii)– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना :– राज्य सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई नीति– 2015 यथा संशोधित 2020, के तहत नीति के अनुसार स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उद्यम स्थापनार्थ लिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज में प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है। यह नीति 31.01.2015 से 31.03.2023 तक लागू है।

एम0एस0एम0नीति–2015 के तहत वर्तमान में प्राप्त होने वाले ब्याज प्रोत्साहन दावे निम्न प्रकार हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	प्राप्त दावे	प्राप्त दावों में से कालातीत दावे
1	मैसर्स सिद्ध श्री कन्स्ट्रक्शन, ककराली गेट टनकपुर	03	02
2	मैसर्स हॉलसम फूड्स, गुदमी बनबसा	10	06
3	मैसर्स सीडर प्लाजा, लोहाघाट,	04	02
4	मैसर्स होटल रियांश, मोहनपुर, टनकपुर	07	–
5	मैसर्स गणपति पैलेस, चौडासेठी	05	01
6	मैसर्स डायमण्ड पॉल्ट्रीफार्म, मनिहारगोठ	09	03
7	मैसर्स मैलकुना स्पाइसेस, डेसली लोहाघाट	04	02
8	मैसर्स होटल जय श्री मोहनपुर	07	04
9	मैसर्स श्री राम लघु उद्योग, मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी	06	04
10	मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज गुदमी बनबसा	09	06
11	मैसर्स बी0एन0के0 मिनरल्स, कांडा,	10	–
12	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल हाउस होल्ड सर्विस यूनिट, बनबसा	03	–
13	मैसर्स संजय जोशी पॉल्ट्रीफार्म, थ्वालखेड़ा,	12	–
14	मैसर्स नटराज फूड्स टनकपुर	07	–
15	मैसर्स शिवम फुटवेयर, बनबसा	13	12

कालातीत हुये दावों के संबंध में बैंकों से उनका पक्ष लिया गया है, जो कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत है। उपरोक्त दावे समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(iii) – नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति योजना–

(अ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 यथा संशोधित 2011 में विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ब)–एम0एस0एम0ई0 उद्यम नीति 2015, के अन्तर्गत विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति हेतु 07 इकाईयों के निम्नवत दावे प्राप्त हुये हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	प्राप्त दावे	प्राप्त दावों में से कालातीत दावे
1	मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज, टनकपुर	05	–
2	मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज झानखेड़ा	05	02
3	मैसर्स मंगल फूड्स, झानखेड़ा,	03	02
4	मैसर्स हॉलसम फूडस, गुदमी बनबसा	05	01
5	मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज गुदमी बनबसा	03	03
6	मैसर्स नटराज फूडस, टनकपुर	02	–
7	मैसर्स मैलकूना स्पाइसेस, डेसली, लोहाघाट	01	–

कालातीत दावों के संबंध में इकाईयों से पक्ष लिया गया है जो कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत हैं। उपरोक्त दावे समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(iv)– जी.एस.टी./वैट में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता :– विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008, यथा संशोधित 2011, के अन्तर्गत स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाती थी। वैट प्रतिपूर्ति के संबंध में 01 इकाई मैसर्स जयदुर्गे राइसमिल, फागपुर बनबसा का 01 दावा (वर्ष 2013–14 का तृतीय त्रैमास) पत्रांक 2562–63/जि. उ.के./वि0एकी0औ0प्रो0/अग्रसारित/2013–14 दिनांक 04.03.2014 से उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किये गये थे। तत्क्रम में उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या 15 दिनांक 01.04.2014, पत्र संख्या 1858/उ0नि0/11/मू.व.क.प्र/व्य0पत्र0/14–15 दिनांक 8.8.2014, पत्र संख्या 342/उ.नि.(11)/वि.ए.औ.प्रो.नी./वै.प्र.पू./व्य.पत्रा./17–18 दिनांक 25.04.2018 तथा पत्र संख्या 2866/उ0नि0/11/प0नी0/2019–20 दिनांक 01.10.2019 के क्रम में दावे से संबंधित औपचारिकतायें/ आपत्तियों के निस्तारण हेतु कार्यालय द्वारा उद्योग निदेशालय से पत्राचार किया गया। कार्यालय स्तर पर जॉचोपरान्त पाया गया है कि वर्ष 2013–14 का तृतीय त्रैमास का दावा जिले स्तर से संबंधित है। अतः उक्त दावा समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत है। (पताका...अ...पर सूची संलग्न है)।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के पत्र संख्या/VII–2018/123–उद्योग/2018 दिनांक 11.05.2018 से उत्तराखड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल/सेवा कर प्रतिपूर्ति हेतु दिशा निर्देश 2018 जारी किया गया है। दिशा–निर्देश के अनुसार एक जुलाई, 2017 से विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को राज्य सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. नीति 2015 के अन्तर्गत स्वर्निमित उत्पादों में 5 वर्ष तक शत–प्रतिशत एस.जी.एस.टी प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। वर्तमान में एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई दावा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(v) :–एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 यथा संशोधित 2020 के अर्न्तगत निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना :– उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के अधिसूचना संख्या 680/VII–3–20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.6.2020 के अनुसार सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथा संशोधित 2020) जारी किये गये हैं। अधिसूचना के तहत "योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया के" शीर्षक के बिन्दु (03) के अनुसार जिला स्तर

पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जिला उद्योग मित्र की उपसमिति को रू0 10 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

जनपद की 02 इकाईयों (मैसर्स श्री राम लघु उद्योग, मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी तथा मैसर्स प्रकाश चन्द्र पाण्डे हाईड्रोफोनिक फोडर एव मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पाटन लोहाघाट) के निवेश प्रोत्साहन दावे प्राप्त हुये हैं। उपरोक्त इकाईयों में से मैसर्स श्री राम लघु उद्योग मि.औ.आ. पुनेठी का दावे का विवरण निम्नांकित है।

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	इकाई का स्थायी पूंजी निवेश	दावाकृत धनराशि	निवेश प्रोत्साहन की गणना हेतु पात्र धनराशि	निवेश प्रोत्साहन की धनराशि (40 प्रतिशत)
1	मैसर्स श्री राम लघु उद्योग, मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी	रू0 28,04,633.00	रू0 28,04,633.00	भवन मद में– रू0 16,87,399.00 प्लांट एवं मशीनरी मद में– रू0 1,89,700.00 कुल रू0 18,77,099.00	रू0 7,50,839.00

उक्त दावा उपसमिति द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है। (पताका...'ख'...पर सूची संलग्न है)।

मै0 प्रकाश चन्द्र पाण्डे, हाईड्रोफोनिक फोडर एव मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पाटन लोहाघाट के निवेश प्रोत्साहन दावे की कार्यालय स्तर पर जॉचोपरान्त् निम्नांकित तथ्य पाये गये हैं।

1–इकाई द्वारा एक ही इकाई में ग्रीन फोडर (हरा चारा) तथा मिल्क प्रोसेसिंग की गतिविधियाँ की जा रही है। जबकि शासनादेश संबंधित प्रकरण पर कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं है। निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखंड देहरादून से प्रकरण पर दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन हेतु पत्र संख्या 638–39 दिनांक 20 अगस्त, 2019 तथा पत्र संख्या 1083–84 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 प्रेषित किये गये थे। जिस पर अतिथि तक दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं।

2– इकाई के वित्त पोषित बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा लोहाघाट के द्वारा इकाई को रू0 22,98,000.00 स्वीकृत हुआ है, जबकि सावधि ऋण के बैंक स्टेटमेंट से पाया गया है कि इकाई द्वारा रू0 17,08,800.00 की धनराशि ली गयी है। शेष ऋण की धनराशि का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है साथ ही ऋण खाते से निकासित की गयी धनराशि का विवरण भी इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3– इकाई के हाइड्रोफोनिक से संबंधित प्लांट एवं मीनरी/उपकरण मद में रू0 12,32,000.00 निवेश संबंधी बिल संलग्न किये गये हैं। जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, लोहाघाट में श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे/हरितिमा पाण्डे के नाम के संयुक्त खाते से (खाता संख्या 67015556623) भुगतान किया गया है, जबकि यह भुगतान परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण खाते से होना था।

6 :– मिनी औद्योगिक आस्थान:– मिनी औद्योगिक आस्थान 2.29 एकड़ भूमि पर पुनेठी चम्पावत में स्थापित है। मिनी औद्योगिक आस्थान में कुल 34 भूखण्डों में से 29 उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जिसमें से केवल 08 उद्यमियों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा 21 उद्यमियों द्वारा अपनी कार्यशालाओं का निर्माण किया है। जिसमें से 12 उद्यमियों द्वारा मशीनें लगाने के उपरान्त इकाई बंद कर दी गयी है तथा 08 उद्यमियों द्वारा अभी तक मशीन आदि नहीं लगायी गयी है और न ही कोई कार्य किया गया है। इनके द्वारा औद्योगिक आस्थान में कार्यशालाएं किराये में रहने हेतु दिए गए हैं। 01 इकाई द्वारा भूमि समलतीकरण किया गया है। 05 इकाईयों द्वारा किस्त ससमय पर नहीं आ रही है, जो निम्नवत है।

1. मै0 बाराही टिन इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री अमर सिंह चमियाल।
2. मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग, प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी।
3. मै0 गड़कोटी लौह उद्योग, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र गडकोटी।

4. मै0 पंगरिया नमकीन प्रो0 श्री माधवानन्द पंगरिया।
5. मै0 बगौली फर्नीचर उद्योग, प्रो0 श्री सुभाष चन्द्र बगौली।

उद्योग न प्रारम्भ न करने वाले सभी 21 उद्यमियों को अंतिम नोटिस भेजे जा चुके हैं। जिनके नाम निम्नवत है।

1– मै0 बगौली फर्नीचर, मि0औ0आ0 पुनेठी, चम्पावत।
2– मै0 होटल प्रिया, चम्पावत।
3– मै0 जयदुर्गे फर्नीचर उद्योग, चम्पावत।
4– मै0 बाराही टिन बॉक्स
5– मै0 सावित्री फूड्स संरक्षण।
6– मै0 पार्वती मसाला।
7– मै0 अमन इण्टरप्राइजेज।
8– मै0 खर्कवाल इंजीनियरिंग
9– मै0 अंकित इलेक्ट्रीकल वर्कस।
10– मै0 उर्मिला होजरी।
11– मै0 अधिकारी सीमेंट ब्लॉक।
12 मै0 अंकुर इलेक्ट्रानिक्स।
13 मै0 महेश ढेक।
14– मै0 पंगरिया दाल एवं नमकीन।
15– मै0 लधौनधूरा मसाला।
16– मै0 सूरज मार्बल
17– मै0 सार लेदर प्रोडेक्ट।
18– मै0 विश्वकर्मा मूर्ति उद्योग।
19– मै0 जानकी रेडीमेड।
20– मै0 लौह कला उद्योग
21 मै0 कगास कालीन उद्योग।

उक्त के अतिरिक्त मिनी औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड संख्या :– 28 मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग, प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी को उद्योग स्थापनार्थ हेतु आवंटित किया गया था, परंतु दिनांक 21.06.2021 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वहाँ पर श्री तुलसीराम शर्मा का परिवार निवासरत है और उनके द्वारा विभाग की अनुमति के बिना अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी द्वारा बिना विभाग को सूचित किये भूखण्ड किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। साथ ही भूखण्ड संख्या :– 17 पर भी श्री हर्षित राय नामक व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण का र्का किया जा रहा है जब कि यह भूखण्ड मै0 बाराही टिन इण्डस्ट्रीज, प्रो0 श्री अमर सिंह चमियाल को उद्योग स्थापनार्थ हेतु आवंटित किया गया था। उक्त संदर्भ में मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग को कार्यालय के पत्र संख्या 257–60/मि0औ0आ0/जि0उ0के0/2021–22 दिनांक 23 जून, 2021 एवं मै0 बाराही टिन इण्डस्ट्रीज को पत्र संख्या 253–56/मि.औ.आ./जि0उ0के0/2021–22 दिनांक 23 जून, 2021 के माध्यम से नोटिस जारी किया जा चुका है।

विभागीय प्रगति :– विभागीय योजनाओं में जनपद की प्रगति इस प्रकार है :–

(i) :– प्रधानंमत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :– वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत तीनों एजेंसियों को भौतिक लक्ष्य 97 तथा वित्तीय लक्ष्य 291 लाख मार्जिन मनी प्राप्त हुआ है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक लक्ष्य 39 तथा वित्तीय लक्ष्य 116.98 लाख प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक कुल 55 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए है, जिनका परीक्षण कर आवेदनों को बैंकों को अग्रसारित करने संबंधित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जनपद में कुल 52 आवेदनों को बैंकों को अग्रसारित किया गया है, जिसमें से 04 आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा 10 आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं। योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत पूर्ति कर ली जायेगी।

(ii) :– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद हेतु 250 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 137 आवेदन कार्यालय में ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों का परीक्षण कर साक्षात्कार के उपरान्त बैंकों को अग्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 64 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में 03 आवेदन स्वीकृत व कुल 07 वितरित हो चुके हैं जिसमें 04 आवेदन बैकलॉग के है।

(iii) :– एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 :– वर्तमान तक जनपद मे एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत कुल 40 इकाईयां पंजीकृत हैं, जिनमें पूंजी विनियोजन 36.57 करोड़ तथा रोजगार 293 प्रस्तावित है। उक्त पंजीकृत इकाईयों में से 31 मार्च, 2021 तक 29 इकाईयां उत्पादन में आ चुकी है, जिनका पूंजी

विनियोजन 23.31 करोड़ है और रोजगार 188 है। वर्ष 2020–21 में एम.एस.एम.ई योजनान्तर्गत 04 इकाईयां स्थापित हुई है, जिनका पूंजी विनियोजन 5.36 करोड़ और रोजगार 41 है।

(iv) :. उद्यम रजिस्टेशन – जनपद का वर्ष 2021–22 में उद्यम/औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का भौतिक लक्ष्य 154 इकाइयों का प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 73 उद्यम रजिस्ट्रेशन विभाग में सत्यापन हेतु प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 09 सत्यापित हो चुके हैं।

अन्य बिन्दु–

1–मै0 कीर्ति इण्डिया बेवरेज बनबसा, प्रो0 सोनू सक्सेना, द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से कार्यालय को अवगत कराया है कि मार्च 2020 से कोविड–19 के कारण इकाई ठीक से नहीं चल पा रही है जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है एवं धनराशि रू0 20 लाख तक की वित्तीय सहायता हेतु जिला उद्योग केन्द्र से निवेदन किया गया है।

7:– अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।